सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

कार्तिक 6, शुक्रवार, शाके 1938–अक्टूबर 28, 2016
Kartika 6, Friday, Saka 1938–October 28, 2016

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय और लेखा अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 28, 2016

एस.ओ.88 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में विकासात्मक कार्यों का दक्ष, प्रभावी और उन्नत निष्पादन सुनिश्चित किये जाने के लिए मान्यताप्राप्त कार्यकारी अधिकरणों से भिन्न विश्वसनीय संगठनों को अन्तर्वलित किया जाना आवश्यक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पैनल में सम्मिलित किये गये गैर–सरकारी संगठनों से, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिम्मे लिये गये उपापन को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) के उपबन्धों की प्रयोज्यता से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए. आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT

(General Financial & Accounts Division)

NOTIFICATION

Jaipur, October 28, 2016

S.O.88 .-In exercise of the powers conferred by section 58 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

(Act No. 21 of 2012), the State Government, being of the opinion that it is necessary to involve credible organizations, other than recognized executive agencies, in order to ensure efficient, effective and innovative execution of developmental works in public interest so to do, hereby, exempts the procurement from non-governmental organizations empanelled by Rural Development and Panchayati Raj Department, Government of Rajasthan, undertaken by Panchayati Raj Institutions, constituted under Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), from the application of the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012).

[No.F.1(8)/FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
Naveen Mahajan,
Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.